फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री एस0एस0 राणावत माँ भवन हनुमान कॉलोनी शास्त्रीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार | पत्रावली संख्या 10/2018

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचना जारी की गई
	दिनांक 26.04.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः—प.1( ) सू.अ.05/2018/194—195 दिनांक 20.03.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2018 को सूचना के अधिकारी अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 06.02.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र मे वर्णित वांछित सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, सहायता, जनरल, न्याय अनुभाग कार्यालय हाजा की होने से जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0 05/2018/108—110 दिनांक 06.02.2018 को प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग द्वारा पत्रावली उपलब्ध कराई गई जिसमे से सूचना तैयार की गई तथा न्याय अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 970 दिनांक 16.02.2018 से सूचना उपलब्ध कराई गई एवं सामान्य अनुभाग द्वारा सूचना सामान्य अनुभाग की नही होना बताकर पत्र पुनः लौटाया गया। इस अनुभाग को सूचना उपलब्ध हो जाने से सूचना के कुल पृष्ठ 07 की राशि 14/— रूपये जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु एवं आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2018 मे शेष वर्णित बिन्दु 04,06,07 व 08 की सूचना अन्य लोक प्राधिकरण की होने से पृथक—पृथक संबंधीत लोक प्राधिकरणो का इस कार्यालय की जानकारी अनुभाग अंकन करते हुए सूचना प्राप्त करने हेतु जरिये पत्रांक 139 दिनांक 19.02.2018 से लिखा गया प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2018 का दिनांक 07.03.2018 को 15/—रूपये के पोस्टल आर्डर के साथ प्राप्त हुआ। जिसमें बिन्दु संख्या 08 की सूचना के संबंध मे जरिये पत्रांक 159 दिनांक 07.03.2018 से राजस्व अनुभाग ने जरिये पत्रांक 1171 दिनांक 12.03.2018 से सूचना उपलब्ध कराई गई। उक्त सूचना सहित प्रार्थी/अपीलार्थी को उनके आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2018 के बिन्दु संख्या 01 से 03 व 5 एवं 08 की सूचना के कुल पृष्ठ 08 संलग्न कर जरिये पत्रांक 171 दिनांक 13.03.2018 से जरिये रजिस्टर्ड प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही शेष बिन्दु संख्या 04,06 व 07 की सूचना अन्य लोक प्राधिकरण की होने से भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10/2/2008 आई.आर. दिनांक 24 सितम्बर 2010 की अनुपालना मे प्रार्थी/अपीलार्थी को पृथक—पृथक संबंधित लोक प्राधिकरण मे आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने बाबत इस कार्यालय स्तर से समय पर कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी को भिजवाई गई सूचना से अपीलार्थी संतुष्ठ नहीं हो तो वह सूचना प्राप्ति के (15 दिवस मे) किसी भी कार्य दिवस मे उपस्थित होकर अभिलेख पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर अपनी संतुष्ठि कर सकते हैं प्रार्थी को	

कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार आरटीआई की धारा 2 एच के अनुसार अभिलेख पर जो सूचना उपलब्ध हो वह आवेदन करने पर उपलब्ध कराई जावे तो जो प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है साथ ही अन्य लोक प्राधिकरण की सूचना के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी अनुसार संबंधित लोक प्राधिकरण/विभाग का अंकन कर भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10/2/2008 आई.आर. दिनांक 24 सितम्बर 2010 की अनुपालना मे प्रार्थी/अपीलार्थी को पृथक–पृथक संबंधित लोक प्राधिकरण मे आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराया जा चुका है।

प्रकरण में अपीलार्थी की सूनवाई की गयी। अपीलार्थी ने सूनवाई के दौरान यह कथन किया कि उसके द्वारा दिनांक 26.02.2018 को प्रेषित किये गये जवाब प्रार्थना पत्र को ही अपनी बहस मानी जावें। उक्त प्रकरण में उपलब्ध करवाई गयी सूचनाओं के संबंध में सुनवायी के दौरान उक्त जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि राजस्थान पब्लिक रिलिजीयस बिल्डिंग प्लेसेज एक्ट 1954 की धारा 11 ए के तहत जिले में अवैध रूप से निर्मित धार्मिक पुजा स्थलों यथा मस्जिद,मंदिर,गुरुद्वारा आदि के अवैध रुप से किये गये निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार जिला कलक्टर द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रावधान वर्णित हैं और इसी आशय की अपीलार्थी द्वारा सूचना चाही गयी थी। अतः उक्त वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जावें।

लो0सू0अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम में भी यही प्रावधान वर्णित हैं कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख की हूबहू सूचना संबंधित अपीलार्थी को उपलब्ध करवायी जावें यही उक्त अधिनियम की मंशा हैं। उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के संबंधित अनुभागों से प्राप्त की जाकर कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलार्थी को नियत समयावधि में सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी हैं साथ ही प्रार्थी के आवेदन में वर्णित शेष बिन्दुओं की सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलक्टर,राजसमंद के द्वारा अपने अपीलीय जवाब दिनांक: 20.03.2018 से प्रार्थी को अन्य लोक प्राधिकरण की सूचना के संबंध में संबंधित लोक प्राधिकरण/विभाग का अंकन कर भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10/2/2008 आई.आर. दिनांक 24 सितम्बर 2010 की अनुपालना मे प्रार्थी/अपीलार्थी को पृथक–पृथक संबंधित लोक प्राधिकरण मे आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार कार्यालय के अभिलेख पर नियत समयावधि में जो सूचना उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिए जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील इसी स्टेज पर निरस्त की जाती हैं। निर्णय प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)